प्रेगनेंसी कॉम्पलिकेशन से हुई थी मौत

मॉडल की मौत का मामला, पीएम रिपोर्ट में मारपीट की पुष्टि नहीं

नवभारत रिपोर्टर
भोपाल, 11 नवंबर. हमीदिया अस्पताल में हुई मॉडल खुशबू अहिरवार की पीएम रिपोर्ट में प्रेग्नेंसी कॉम्पलिकेशन के चलते मौत होने की पुष्टि हुई है. मृतका के साथ मारपीट होने या उसे जख्म देने की पुष्टि रिपोर्ट में नहीं आई है. अब खुशबू के साथ कॉम्पलिकेशन कैसे हुआ, इसको लेकर बिसरा जांच कराई जाएगी. पुलिस का मामले में कहना है कि सभी एंगल से जांच की जाएगी. आरोपी कासिम हुसैन से पुलिस की पूछताछ जारी है.

मिली जानकारी के अनुसार खुशबू की मौत के मामले में आरोपी बनाए गए कासिम ने पुलिस की पूछताछ में अब तक यह स्वीकार किया है कि खुशबू उसके साथ लिव-इन में थी. खुशबू की तबीयत खराब होने पर उसने उसे अस्पताल में भर्ती कराया था.

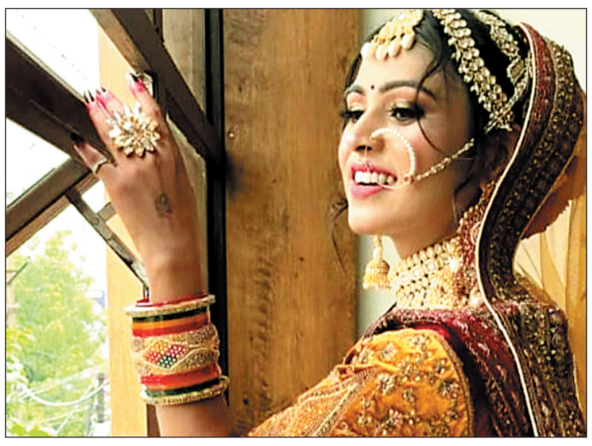

कासिम को लेकर यह जानकारी सामने आई है कि उसके खिलाफ शराब तस्करी का एक मामला पहले से दर्ज है. कासिम ने खुशबू के साथ अपने रिश्ते को लेकर पुलिस को बताया है कि दोनों की मुलाकात दो साल पहले हुई थी. मुलाकात के बाद सोशल मीडिया पर बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ा और नजदीकियां बढ़ती गई. कासिम मूलतः उज्जैन का रहने वाला है. खुशबू के प्रेगनेंट होने के बाद वह ज्यादा समय उसके पास ही रहता था.

> कासिम को लेकर परिवार ने लव जिहाद का बड़ा आरोप लगाया है. खुशबू के शव को देखर परिवार ने उसके साथ मारपीट होने का आरोप कासिम पर ही लगाया है. मृतका का परिवार पुलिस से इस मामले में न्याय की गुहार लगा रहा है. परिवार के आरोप और पूरे मामले को लेकर बैरागढ़ पुलिस सभी एंगल से जांच करने में जुट गई है. बता दें कि खुशबू की संदिग्ध हालत में सोमवार को मौत हो गई. शार्ट पीएम रिपोर्ट में मृतका के गर्भवती होने और उसके कॉम्प्लिकेशन की जानकारी सामने आई है. अब पीएम रिपोर्ट आने के बाद बिसरा जांच कराने की मांग भी परिवार कर रह है.

पैदल जा रही महिला को लोडिंग ऑटो ने मारी टक्कर, मौत

भोपाल. कोहेफिजा थाना क्षेत्र में सड़क पर पैदल जा रही एक महिला को लोडिंग आटो ने टक्कर मार दी. हादसे में गंभीर रूप से जख्मी हुई महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई. आरोपी वाहन चालक अपना वाहन घटना स्थल पर ही छोड़ कर फरार हो गया. पुलिस ने वाहन को जब्त कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है. मिली जानकारी के अनुसार मृतका मुन्नी बाई वर्मा (50) लालघाटी के नयापुरा में रहती थीं. सुबह के करीब 9 बजे पैदल निकली थी. लालघाटी चौराहे पर रास्ते को क्रास करते समय एक तेज रफ्तरा में चल रहे लोडिंग आटो ने मुन्नी बाई को जोरदार टक्कर मार दी. आरोप चालक मौके से फरार होने में सफल रहा. राहगीरों की मदद से मुन्नी बाई को हमीदिया अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया.

एसआईआर प्रक्रिया का किया निरीक्षण

विशेष संवाददाता
भोपाल, 11 नवंबर. भोपाल की नरेला विधानसभा में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण का कार्य इन दिनों जारी है, जिसके चलते मतदाताओं के साथ-साथ बूथ लेवल अधिकारियों (ब्रस्ह) को भी कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. जहां भाजपा नेता इस मुद्दे पर केवल बयानबाज़ी करते दिखाई दे रहे हैं, वहीं कांग्रेस नेता मनोज शुक्ला ने मंगलवार को पूरी प्रक्रिया का जमीनी निरीक्षण करने का तरीका अपनाया.

वह स्कूटी पर सवार होकर क्षेत्र के कई बूथों पर पहुँचे और बीएलओ से सीधे संवाद किया. शुक्ला ने दर्जनों बूथों का दौरा करते हुए एसआईआर के दौरान आ रही कठिनाइयों की जानकारी ली. उन्होंने महिला बीएलओ को नारियल और पुरुष बीएलओ को गुलाब का फूल देकर सम्मानित किया और उनके कार्य की सराहना की. इस दौरान उन्होंने मतदाता सूची सत्यापन कार्य की प्रगति की भी समीक्षा की. कांग्रेस नेता शुक्ला ने क्षेत्रवासियों और विशेष रूप से अल्पसंख्यक समुदाय से बातचीत कर कहा कि सही दस्तावेज उपलब्ध कराने पर किसी का नाम मतदाता सूची से नहीं हटेगा.

> उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में नाम कटौती का दबाव बढ़ाया जा रहा है, इसलिए लोगों को सजग रहकर अपने वैध प्रमाण समय पर प्रस्तुत करने चाहिए. साथ ही उन्होंने बीएलओ से निष्पक्ष और कानूनी रूप से कार्य करने की अपील की. दौरे के दौरान पूर्व पार्षद महमूद अनवर गुड्डू, अमित खत्री, तारिक अली, विजेंद्र शुक्ला, अनस उर रहमान, अहमद खान, मोहम्मद आमिर, अलमास अली, अलीमुद्दीन, फ़ैज़ान खान, संदीप सरवैया, अमजद लाला, काजी आसिफ, शानू खान, फ़हीम बख़्श और अनूप पांडे सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे.

अलर्ट : राजधानी में चेकिंग तेज

नवभारत रिपोर्टर
भोपाल, 11 नवंबर. दिल्ली में लाल किले के पास कार में हुए विस्फोट के बाद भोपाल में पुलिस अलर्ट हो गई है. जिला पुलिस ने मंगलवार को लगभग सभी सड़कों पर वाहनों का चेकिंग अभियान चलाया.

दिल्ली की घटना के बाद से पूरे देश में हाई अलर्ट जारी कर है. राजधानी में भी पुलिस का लगातार चेकिंग अभियान जारी है. सड़कों पर सभी चार पहिया और भारी वाहनों को रोक कर उनकी जांच की जा रही है. भोपाल के जोन 3 पुलिस लगातार हर वाहन और सभी चालक की पूरी तरह से कागजात चेक करते हुए जांच कर रही है.

दिव्यांग यात्रियों की सेवा के लिए रेल मंडल संकल्पित

अब तक इस सत्र में 916 रेलवे दिव्यांग रियायत कार्ड किए गए जारी

भोपाल, 11 नवंबर. शारीरिक रूप से दिव्यांग यात्रियों की सुविधा और यात्रा को आसान बनाने के लिए भोपाल रेल मंडल लगातार प्रयासरत है. मंडल रेल प्रबंधक श्री पंकज त्यागी के मार्गदर्शन में और वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री सौरभ कटारिया के नेतृत्व में, इस वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 11 नवम्बर 2025 के बीच कुल 916 रेलवे दिव्यांग रियायत कार्ड जारी किए गए हैं.

केवल अक्टूबर माह में मंडल ने 102 रेलवे दिव्यांग रियायत कार्ड किए हैं. इन रियायत कार्डों के माध्यम से दिव्यांग यात्रियों को किराए में छूट के साथ-साथ नियमानुसार परिचारक के साथ यात्रा करने की सुविधा प्रदान की जाती है. भोपाल रेल मंडल का यह कदम सरकार द्वारा दी जा रही रियायतों का लाभ अधिक से अधिक योग्य यात्रियों तक पहुँचाने के उद्देश्य से उठाया गया है. दिव्यांग रियायत कार्ड बनवाने के लिए दिव्यांग यात्रियों को जिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र, एक पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, और रियायत प्रमाणपत्र (व्यक्ति जो बिना सहचर के यात्रा नहीं कर सकता, डॉक्टर द्वारा प्रमाणित किया गया हो) को वेबसाइट https: //divyangjanid. indianrail.gov.in पर अपलोड करना होता है. सभी दस्तावेजों के वेरिफिकेशन के बाद कार्ड जारी किया जाता है, जिसकी सूचना प्रार्थी को मोबाइल पर एसएमएस के माध्यम से भेजी जाती है. आवेदक को फॉर्म भरते समय सावधानीपूर्वक सही जानकारी देनी चाहिए. कार्ड की जानकारी रेलवे के सॉफ्टवेयर में अपडेट कर दी जाती है. जिससे आगे परेशानी न हो.

वारंटी को अशोका गार्डन पुलिस ने किया गिरफ्तार

भोपाल. फरार स्थाई वारंटी को अशोका गार्डन थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है. आरोपी के खिलाफ प्रकरण में कोर्ट ने वारंट जारी किया था. पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार वारंटी गोविन्द दुबे (52) के बारे में पुलिस को क्षेत्र में होने की सूचना मिली. वारंटी को पकड़ने के लिए एक टीम रवाना की गई. आरोपी को सूझबूझ से पुलिस अभिरक्षा में लेकर न्यायालय में पेश किया गया. वारंटी दुबे के खिलाफ एन आई एक्ट में मजिस्ट्रेट ने स्थाई गिरफ्तारी वारंट जारी किया था.

केरवा डैम ब्रिज का गिरा स्लैब

जिला प्रशासन ने जारी किया निर्देश

भोपाल, 11 नवंबर. जिला प्रशासन ने केरवा डैम ब्रिज का स्लैब गिरने पर निर्देश जारी किया है. जारी निर्देश के अनुसार केरवां बाँध के दायें पार्श्व पर स्थित लगभग 70 मीटर लंबे फुट ब्रिज के 4 स्पान में से एक स्पान में दिनांक 11 नवम्बर को आंशिक क्षति की सूचना प्राप्त हुई है. यह संरचना वर्ष 1980 में बाँध निर्माण के समय निर्मित की गई थी. महत्वपूर्ण है कि इस घटना में किसी प्रकार की जनहानि या अन्य नुकसान की सूचना नहीं है. विभाग द्वारा इस फुट ब्रिज पर सामान्य आवागमन पहले से ही प्रतिबंधित था तथा इसे केवल निरीक्षण कार्य हेतु सीमित उपयोग में लिया जाता था.

विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य में देरी पर बढ़ी चिंता

विशेष संवाददाता
भोपाल, 11 नवंबर. वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने 22 वर्ष बाद शुरू हुए विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य में हो रही देरी पर गंभीर आपत्ति जताई है.

यह प्रक्रिया 27 अक्टूबर से प्रारंभ हुई थी, जिसके तहत 3 नवंबर तक प्रशिक्षण और तैयारी पूर्ण की जानी थी, जबकि 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर मतदाता संबंधी व्यक्तिगत जानकारी प्रपत्र वितरित किए जाने थे. वर्मा का कहना है कि अनेक क्षेत्रों में बीएलओ अब तक घर-घर नहीं पहुंचे हैं और गणना पत्रक भी वितरित नहीं हुए हैं.

> वर्मा ने सवाल उठाया कि क्या निर्वाचन आयोग प्रत्येक मतदाता के अधिकारों की रक्षा के लिए समय सीमा बढ़ाएगा, या फिर यह स्थिति मतदाताओं के साथ विश्वासघात साबित होगी. भी पंजीयन की सुविधा शीघ्र ही मिलने लगेगी. पंजीयन के दौरान अलग-अलग उपभोक्ता श्रेणी के लिए पंजीयन राशि निर्धारित की गई है.

समाधान योजना में 1 हजार 662 उपभोक्ताओं ने कराया पंजीयन

▶ 39 लाख रूपए सरचार्ज किया गया माफ

भोपाल, 11 नवंबर. एक सप्ताह पूर्व 03 नवंबर से शुरू हुई मप्र सरकार की समाधान योजना 2025-26 के बेहतर परिणाम मिल रहे हैं. योजना के तहत अब तक भोपाल जिले के 01 हजार 662 उपभोक्ताओं ने अपना पंजीयन कराया है. कंपनी के खाते में 01 करोड़ 24 लाख रूपए मूल राशि जमा की गई है, जबकि 39 लाख रूपए सरचार्ज माफ किया गया है.

मध्य प्रदेश सरकार की समाधान योजना 2025-26 में अब तक 10 हजार 075 बकायादार उपभोक्ताओं ने अपना पंजीयन कराया है.

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के खाते में 14 करोड़ 29 लाख से अधिक की मूल राशि जमा हुई है, जबकि 08 करोड़ 30 लाख का सरचार्ज माफ किया गया है. मध्य प्रदेश सरकार की समाधान योजना 2025- 26 के लागू होने से ऐसे अनेक उपभोक्ता हैं जो बकाया बिल जमा कर रहे हैं और एकमुश्त बकाया जमा राशि जमा करने पर अधिकतम छूट का लाभ ले रहे हैं.

4 लाख 56 हजार से अधिक स्मार्ट मीटर किए स्थापित

▶ ग्वालियर सहित पूरे कंपनी कार्यक्षेत्र में लगाए मीटर

भोपाल/ग्वालियर, 11 नवंबर. केंद्र सरकार की रिवेम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (आरडीएसएस) योजना के अंतर्गत मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा कंपनी कार्यक्षेत्र में स्मार्ट मीटर लगाने का काम त्वरित गति से चल रहा है.

जहां जहां स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं, वहां पर समय पर बिलिंग तथा रीडिंग हो रही है तथा दिन के टैरिफ में 20 प्रतिशत की छूट भी मिलनी शुरू हो गई है. कंपनी कार्यक्षेत्र के भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर एवं चंबल संभाग के 16 जिलों में अब तक 04 लाख 56 हजार 146 स्मार्ट मीटर स्थापित किए जा चुके हैं. इनमें ग्वालियर क्षेत्र में शहर वृत्त में 25 हजार 622 स्मार्ट मीटर स्थापित किए जा चुके हैं. कंपनी ने कहा है कि स्मार्ट मीटर लगने से उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं, सटीक बिलिंग और ऊर्जा दक्षता में सुधार हो रहा है. स्मार्ट मीटर लगाने का काम समय सीमा में पूर्ण करने के लिए कंपनी की टीमें लगातार कार्य में जुटी हुई हैं.

दिशा-निर्देश ▶ आरजीपीवी यूआईटी ने दिया निर्देश

परीक्षा में शामिल होने के लिए एबीसी आईडी अनिवार्य

नवभारत प्रतिनिधि
भोपाल, 11 नवंबर. राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने बीटेक, एमसीए और एमई प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं. विश्वविद्यालय ने दिसंबर में प्रस्तावित परीक्षाओं से पहले सभी छात्रों के लिए एबीसी आईडी बनवाना अनिवार्य कर दिया है. बिना एबीसी आईडी के छात्र परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेंगे.

विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा फॉर्म भरने से पहले विद्यार्थियों को तीन चरणों की प्रक्रिया पूरी करनी होगी. पहले चरण में पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन, दूसरे में नामांकन फॉर्म भरना और तीसरे में परीक्षा फॉर्म जमा करना होगा. इन सभी प्रक्रियाओं के बाद छात्रों को 30 नवंबर तक अपने कॉलेज की परीक्षा शाखा में आवश्यक दस्तावेज जमा करना अनिवार्य है. आरजीपीवी प्रशासन के अनुसार रजिस्ट्रेशन के दौरान शाखा का चयन करने के बाद विद्यार्थियों को एक नामांकन क्रमांक प्राप्त होगा, जिसे सुरक्षित रखना आवश्यक है. पूरी प्रक्रिया से संबंधित दिशा-निर्देश और शुल्क विवरण कॉलेज की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं. छात्रों को पंजीकरण के लिए ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, यूनियन बैंक का खाता नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो और हस्ताक्षर की स्कैन कॉपी पहले से तैयार रखनी होगी.

> दस्तावेजों में नामांकन फॉर्म की प्रति, शुल्क जमा करने की रसीद, दसवीं और बारहवीं की अंकसूचियाँ, एमसीए और एमई के छात्रों के लिए पात्रता परीक्षा की मार्कशीट, माइग्रेशन प्रमाणपत्र की मूल प्रति तथा ट्रांसफर सर्टिफिकेट की छाया प्रति शामिल हैं. निर्धारित समय सीमा में दस्तावेज जमा न करने वाले छात्रों को परीक्षा से वंचित किया जाएगा. वही रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद विद्यार्थियों को यूजर नेम और पासवर्ड मिलेगा, जिसकी सहायता से वे पोर्टल पर लॉगिन कर नामांकन फॉर्म भर सकेंगे. विश्वविद्यालय ने छात्रों से अपील की है कि वे समयसीमा का पालन करते हुए सभी दस्तावेज नियमानुसार जमा करें, ताकि उन्हें परीक्षा में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े.

द्वितीय आमंत्रण

RERA No. : P-BPL-25-5394

म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल

KHAJURI HOUSING
3 BHK LUXURY DUPLEX

स्वतंत्र डुप्लेक्स
भवनों की वृहद आवासीय योजना
जम्बूरी मैदान
के पास (बीएचईएल) अवधपुरी भोपाल

भवन का अपसेट मूल्य ₹ 79.54 लाख से प्रारंभ

ऑनलाईन ई-ऑफर सुविधा
www.mphousing.in
www.mponline.gov.in
पर उपलब्ध

भवनों की संख्या	सामान्य वर्ग (अनारक्षित)		अनु. जाति		अनु. जनजाति		पिछड़ा वर्ग		स्वतंत्रता संग्राम सेनानी	सैनिक /भू.पू. सैनिक	मान. सांसद/ विधायक	बुद्धिजीवी/ श्रमजीवी पत्रकार	विकलांग	मंडल कर्मी
		(म.)		(म.)		(म.)		(म.)						
49	10	1	4	0	9	1	1	0	3	1	14	1	2	2

नियम व शर्तें :

1. ऑफर स्वीकृत होने पर ऑफर मूल्य की संपत्ति की शेष राशि 3 किस्तों में भुगतान करने की विशेष सुविधा। **2. संपत्ति के ऑफर स्वीकृति उपरांत ऑफरकर्ता द्वारा ऑफर निरस्त कराने पर मंडल नियमानुसार धरोहर राशि की 50% राशि जब्त कर ली जावेगी।** 3. संपत्ति के एक से अधिक ऑफर स्वीकृत उपरांत उनमे से किसी ऑफर के निरस्त करने के लिए ऑफरकर्ता आवेदन देता है तो उस ऑफर की धरोहर राशि राजसात कर ली जावेंगी। 4. ऑफर प्रस्तुत करने के पूर्व स्थल/ संपत्ति का अवलोकन कर ले। 5. समस्त कर एवं जी.एस.टी. शासन/मंडल के नियमानुसार पृथक से देय होगा। 6. शासन/मंडल द्वारा निर्धारित लीजरेंट एवं भवनों के मूल्य का 5% कार्पस फंड पृथक से देय होगा। 7. मंडल/शासन के नियम व शर्तें लागू। **आवेदन शुल्क एवं धरोहर राशि जमा करने की अंतिम तिथि 25/11/2025, ऑफर डालने की अंतिम तिथि 26/11/2025 सायं 5.00 बजे तक। ऑफर दिनांक 27.11.2025 को सायं 3.00 बजे online खोले जावेंगे। आवेदन फार्म का मूल्य एवं धरोहर राशि online Portal से जमा होंगी। रजिस्टर्ड मोबाइल पर BID-ID प्राप्त होंगी। योजना की विस्तृत जानकारी www.mphousing.in पर उपलब्ध।**

(एस. के. अग्रवाल)
सम्पदा अधिकारी, संभाग - 4 प्रथम तल,
सैटेलाइट प्लाजा, अयोध्या नगर, भोपाल

M.P. Madhyam/122948/2025

LOCATION

अधिक जानकारी एवं बुकिंग के लिए संपर्क करें: www.mphousing.in
9691563538, 9406912045, 9406912076, 9826644908